प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 11 अप्रैल, 2019 को अपरान्ह 4.00 बजे कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

....

1. सर्वप्रथम बैठक में हेल्थ वर्कर, चिकित्सा अधिकारी, पैरा मेडिकल, पुलिस, सफाई कर्मी तथा फ्रन्ट लाईन वर्कर यथा आशा, सहायिका एवं अन्य हेतु रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही परीक्षण के आधार पर पाये गये पाजिटिव व्यक्त्यिों हेतु प्रोटोकाल के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही निदेशक संचारी)

2. बैठक में पूल सैम्पल टेस्टिंग कराये जाने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। विचार विमर्श के उपरान्त पूल टेस्टिंग हेतु रणनीति तैयार कर रैपिड परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक संचारी)

3. बैठक में यूनिसेफ से प्राप्त आशा वर्कर द्वारा निर्मित प्रवासियों की सूची के अनुसार शतप्रतिशत कोविड जॉच शीर्ष प्राथमिकता अनुसार आगामी दो दिन में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक संचारी)

4. बैठक में शोध के उद्देश्य से कोरोना पाजिटिव क्लाईन्टस की केस स्टडी किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

5. कोविड–19 में लगे हुये चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के भोजन की व्यवस्था हेतु स्थानीय स्तर पर पारिश्रमिक देते हुये प्रशिक्षित कुक से सहयोग लिया जाय। इसके अतिरिक्त सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जो कुक के पद पर सेवायें दे चुके हो, उनका सहयोग भी लिया जा सकता है।

(कार्यवाही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

6. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि वर्तमान कोरोना पाजिटिव केस के आधार पर भविष्य में सम्भावित कोरोना रोगियों की संख्या का जनपदवार आकलन किया जाय एवं सम्भावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर एल–1, एल–2 व एल–3 हास्पिटल हेतु प्रबन्धन पर रणनीति यथाशीघ्र निर्मित की जाय, जिससे कि भविष्य में यथा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य संगठन)

7. प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कालेज स्तर पर रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन हो, जिससे सम्बन्धित मेडिकल कालेज के कम्यूनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

8. बैठक में एल–1 एवं एल–2 हास्पिटल में आक्सीजन सिलेन्डर एवं आक्सीजन कान्सन्टेटर का मानक निर्मित कर (एल–1 में 50 Small oxygen Cylinder+5.0 Oxygen Concentrator एवं एल–2 हास्पिटल में 560 जम्बो आक्सीजन सिलेन्डर) 15 अप्रैल, 2020 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त की निगरानी विशेष सचिव, स्वास्थ्य द्वारा की जाय।

(कार्यवाही महानिदेशक स्वास्थ्य)

9. प्रत्येक एल–1एवं एल–2 हास्पिटल में आक्सीजन सिलेन्डर व अन्य उपकरणों की यथास्थिति उपलब्धता के बारे में अतिशीघ्र आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि को निर्देशित किया जाय।

(कार्यवाही प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य संगठन)

10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि पी0पी0ई0 किटस एवं आक्सीजन कन्सनट्रेटर के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये अतिशीघ्र प्राप्त कर ली जायेगी।

(कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एम0एस0सी0एल0)

11. निजी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों के उपचार का भुगतान किये जाने हेतु कैबिनेट प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज)

12. कोविड–19 हेतु निर्धारित ड्रग प्रोटोकाल के अनुरूप वर्तमान में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की प्रोफालेक्टिक स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

13. जिला स्तर पर क्वरेन्टिइन हेतु रखे गये महिला रोगियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं स्टाफ नर्स के अतिरिक्त यथा सम्भव महिला पुलिस कर्मियों से सुरक्षा हेतु सहयोग लिया जाय। इसके अतिरिक्त कम उम्र के बच्चों को भी माँ के साथ महिला वार्ड में रखे जाये एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुये क्वेरन्टिइन किये जाने के निर्देश दिये जायें।

(कार्यवाही महानिदेशक, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

14. प्रदेश में कोविड–19 के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रचार–प्रसार कार्यक्रम की समीक्षा भी की गयी जिसके अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त कोविड एवयरनेस प्रोग्राम हेतु वीडियोज को पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड–19 से ठीक हुये रोगियों का भी वीडियों संदेश बनाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु यथशीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या– 855 पांच–5–2020
लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. विशेष सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेशं शासन।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।
7. निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।
11. स्टेट सर्विलान्स अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
13/04/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

13/04/2020